न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस
मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 196/2022

प्रार्थीगण :–

1. चूनाराम पुत्र रावताराम जाति मेगवाल
2. रामाराम पुत्र रावताराम जाति मेगवाल
3. अमरीया उर्फ अमराराम पुत्र वागाराम उर्फ वागला जाति भील
4. शंकरिया उर्फ शंकराराम पुत्र वागला भील
5. शांती पत्नी मालाराम
6. भीखाराम पुत्र मालाराम
7. सवाराम पुत्र मालाराम सभी जाति भील सभी निवासीयान आकडली बक्सीराम तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. लालाराम पुत्र रावताराम
2. उदाराम पुत्र रावताराम
3. ओमाराम पुत्र वगताराम
4. तेजाराम पुत्र वगताराम
5. वीराराम पुत्र वगताराम
6. चेनाराम पुत्र वगताराम
7. दलाराम पुत्र मालाराम
8. पुरखाराम पुत्र मालाराम सभी जातियान मेगवाल
9. खीमाराम पुत्र राणाराम
10. रतनाराम पुत्र चेनाराम जाति भील सभी निवासीयान आकडली बक्सीराम तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।
11. राज0 सरकार जरीये तहसीलदार पचपदरा तह0 पचपदरा जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा0भू रा0 अधि0
बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :–

1. श्री रतनलाल चौधरी प्रार्थीगण अधिवक्ता
2. विप्रार्थीगण एकतरफा

आदेश दिनांक :– 14.09.2022

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का खातेदारी खेत सरहद मौजा ग्राम आकडली बक्सीराम पटवार हल्का आकडली भूअभिलेख निरीक्षक दूदवा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर के खसरा संख्या 152/66 रकबा 56–10 बीघा, खसरा संख्या 155/74 रकबा 4–17 बीघा, खसरा संख्या 162/103 रकबा 9 बीघा, खसरा संख्या 167/110 रकबा 13 बीघा कुल रकबा 83–07 बीघा भूमि प्रार्थी संख्या –01 एवं खसरा संख्या 89 रकबा 59–17 बीघा, खसरा संख्या 151/66 रकबा 13–11 बीघा, खसरा सख्या 154/74 रकबा 4–17 बीघा, खसरा संख्या 161/103 रकबा 5 बीघा कुल रकबा 83–05 बीघा भूमि प्रार्थी संख्या –02 तथा खसरा संख्या 260/65 रकबा 36–08 बीघा प्रार्थीगण संख्या 03 से 7 के खातेदारी व कब्जा काश्त में आयी हुई है।

विप्रार्थी सख्या 1 ता 11 विवादित भूमि के सेढा पडोसी है। जो प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के खेतो की सीमा पर आंधी तुफान व बरसात से सीमा चिन्ह मौके पर नही रहे है। मौके पर सीमा चिन्ह नहीं होने से काश्त से समय अक्सर प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में अक्सर सेढों को लेकर विवाद करते रहते है, इसलिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भूमि की नेखमबंदी करवाने का निवेदन किया है ।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया। विप्रार्थीगण को जारी रजिस्ट्रर्ड नोटिस डाक रसीदे पेश की गई बावजूद सुनवाई का अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही पारित की गयी ।

प्रार्थीगण के विद्ववान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के वकील ने दोहराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो का दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण खातेदारी खेत के सेढा पडोसी है जिनके मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश एवं नेखमबंदी करवाना चाहते है। प्रार्थी खातेदारी काश्तकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, जिसके सम्बन्ध मे हल्का पटवारी आकडली से प्राप्त प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी खतौनी 2073–76 खसरा पेश की है । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि की नेखमबंदी करवाने के आदेश फरमाएं।

हमने विद्ववान प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी व पत्रावली एवं पत्रावली संलग्न राजस्व रेकर्ड एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया । बाद गौर प्रार्थीगण खातदेार काश्तकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है एवं पत्रावली के संलग्न सीमाज्ञान फर्द रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण विवादित भूमि का खातेदार है और अपनी खातेदारी भूमि का नेखमबंदी कराने का हकदार भी है। ऐसी सूरत मे प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है ।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा आकडली बक्सीराम पटवार हल्का आकडली भू.अभिलेख निरीक्षक दूदवा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर के खसरा संख्या 152/66 रकबा 56–10 बीघा, खसरा संख्या 155/74 रकबा 4–17 बीघा, खसरा संख्या 162/103 रकबा 9 बीघा, खसरा संख्या 167/110 रकबा 13 बीघा कुल रकबा 83–07 बीघा भूमि प्रार्थी संख्या –01 एवं खसरा संख्या 89 रकबा 59–17 बीघा, खसरा संख्या 151/66 रकबा 13–11 बीघा, खसरा सख्या 154/74 रकबा 4–17 बीघा, खसरा संख्या 161/103 रकबा 5 बीघा कुल रकबा 83–05 बीघा भूमि प्रार्थी संख्या –02 तथा खसरा संख्या 260/65 रकबा 36–08 बीघा भूमि की नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि नेखमबंदी करने से पूर्व पक्षकारान को जरिये नोटिस सूचित करते हुए उनकी उपस्थित में कार्यवाही किया जाना

श्चित कर विवादित भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावे । पालना रिपोर्ट त होने पर शामिल मिसल हो। मौका कमिश्नर शुल्क प्रार्थी के द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें ।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आज दिनांक 14.09.2022 को आदेश लिखा जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा